Vol 5 Issue 4 Oct 2015 ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Welcome to GRT

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

......More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063

Impact Factor : 3.4052(UIF)
Volume - 5 | Issue - 4 | Oct - 2015

GRT

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण निवारण

बी. पी. तिवारी
सेवा निवृत्त प्राध्यापक एवं प्राचार्य, शासकीय राज स्तरीय विधि महाविद्यालय, भोपाल

सारांश

''पर्यावरण प्रदूषक'' एक ऐसा ठोस या द्रव्य या गैसीय पदार्थ है जो ऐसी सान्द्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या जिससे क्षति होना संभव है प्रदूषक पर्यावरण में उपस्थित प्रदूषको के द्वारा होता है।

प्रदूषक का अर्थ सामान्यतः असक्रिय या मनुष्य द्वारा निर्मित पदार्थो या अन्य पदार्थो से लगाया जाता है और विशिष्ट क्षेत्र में उसे अधिक होने का संकेत देता है, इस प्रकार पर्यावरण के लिए हानिकर होने के लिए प्रवृत्त विद्यमान कोई ठोस, द्रव्य या गैस युक्त पदार्थ प्रदूषक होता है पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए बनाई गई विशेष विधियों में दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने सम्बन्धी उपबन्ध तो बनाए गये है लेकिन पीड़ित व्यक्ति को क्षति व हानि के लिए प्रतिकर सम्बन्धी उपचार प्रदान नही करती है, ऐसी स्थिति में केवल याचिका के माध्यम से प्रतिकर प्राप्त किया जा सकता है।

Keywords :- प्रदूषक, प्रदूषण बोर्ड, लोकहितवाद, प्रदूषण रहित जल एवं वायु, प्रदूषण संबंधी स्लाइड, प्रदूषण एक अनिवार्य विषय, स्कूल, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में लागू हो, दूषित करने वाला भुगतान करे, हरीपीठ।

प्रस्तावना

पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य यह होता है कि मानवीय कारणो एवं स्थानीय स्तर पर गुणवता में ह्रास। प्रदूषण को पर्यावरण के ऐसे ढंग से संदूषण के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जो जीवित एवं अजीवित के स्वास्थ्य के प्रति परिसंकट या संभावित संकट उत्पन्न करता है। प्रदूषण का प्रभाव यह है कि यह पदार्थ के प्राकृति तत्व को नष्ट करता है। यह खाद्य श्रृखला, कार्बन परिपथ, नाइट्रोजन परिपथ, ऑक्सीजन परिपथ व हाइड्रोजन परिपथ में व्यवधान उत्पन्न करता है। जिससे पौधो तथा जीव जन्तु को क्षति कारित करता है। प्रदूषण जीवो को जीवित रहना कठिन एवं दुष्कर कर देता है। प्रदूषण का प्रभाव न केवल जीवित रहने वाले जीवो पर ही पड़ता है बल्कि सम्पत्ति और भवन पर भी पड़ता है जो जीव न होकर निर्जीव है।

प्रदूषण फैलाने वाले तत्व को प्रदूषक कहते है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ की धारा २ (ख) के अनुसार कई निर्णत वादो में उच्चतम या उच्च न्यायालय ने पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विधियो को क्रियान्वित करने के लिए सरकार को समुचित निर्देश दिए।

पर्यावरण प्रदूषण सम्पूर्ण समाज के लिए वर्तमान समय में खतरा बनता जा रहा है। संसद ने उसे बचाने के लिए अनेक अधिनियम बनाए है, किन्तु उन्हे लागू करने में वह विफल रहा। हमारे उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयो ने उपरोक्त विधियों को क्रियान्वित कराने में सराहनीय कार्य किया है।

रूरल लिटिगेशन एन एन्टाइटिलमेन्ट केन्द्र देहरादून बनाम उ.प्र. राज्य(१) के वाद में न्यायालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने रिपोर्ट दिया कि कुछ पत्थर की खानो की खुदाई के कारण आस-पास का पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगो को हानि हो रही थी। परिणामतः न्यायालय ने इन पत्थर की खानो की खुदाई का काम रोकने का आदेश दिया।

एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ(२) (१९८६) के मामले में न्यायालय ने दिल्ली स्थित श्री राम फूड एण्ड फर्टीलाईजर कंपनी को ओलियम नामक खतरनाक गैस बनाने से रोक दिया जब तक कि कंपनी वे सभी आवश्यक उपाय नही अपनाती है जो गैस को निकालने से रोकने के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक है। कंपनी के कारखानो से उक्त गैस के रिसाव के कारण कंपनी के आसपास के निवासियों और कंपनी के कर्मकारो को काफी क्षति पहुंची थी।

एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ (१९८८)(३) के दूसरे प्रकरण में न्यायालय ने कानपुर के निकट जाजमऊ में स्थिति

चर्मशोधन शालाओ को तत्काल बंद करने का आदेश दिया क्योंकि उनसे निकलने वाले मलवे से गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा था। याचिका कर्ता जो एक समाज सेवक है, ने उक्त याचिका न्यायालय में लोकहित वाद के रूप में दायर की थी। उसने शिकायत की थी चर्म शोधन शालाओं से निकलने वाला अपशिष्ट गंगा के जल को प्रदूषित करता है जो पर्यावरण एवं जन जीवन के लिये हानिकारक है।

इन कारखानो ने अपशिष्ट जल की प्राथमिक अभिक्रिया के लिए किसी प्रकार के संयत्र नही लगाये है प्रत्यार्थियो की ओर से यह दलील दिया गया कि संयत्र लगाने का खर्चा बहुत अधिक है और कारखानो कें बन्द होने से बेरोजगारी और राजस्व की हानि होगी। किन्तु न्यायालय ने इस बिन्दु पर यह निर्णय दिया कि इन कारखानो के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी और राजस्व की हानि की तुलना में आम जनता के जीवन, स्वास्थ्य और परिवेश संरक्षण का लोगो के लिए कही अधिक महत्व है।

एम.सी.मेहता(२) बनाम भारत संघ(४) के वाद में याचिकाकर्ता ने गंगा जल प्रदूषण के विरूद्व लोकहित वाद दायर किया और न्यायालय से सम्बन्धित प्राधिकारियो को उचित आदेश देने की सिफारिश की। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया कि गंगा जल प्रदूषण एक सार्वजनिक उपताप है जिसके खिलाफ लोकहित वाद दायर किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम १९७४ के उपबन्धो द्वारा नगर निगम एवं प्रदूषण बोर्ड पर अधिरोपित विधि के कर्तव्यो के पालन हेतु न्यायालय में लोकहित वाद दायर करने का अधिकार है।

न्यायालय ने कानपुर नगर पालिका को निर्देश दिया कि वह ०६ माह के भीतर जल परिषद के समक्ष जल प्रदूषण रोकने हेतु प्रस्ताव भेजे। न्यायालय ने निर्देश दिया कि दूघ की डेयरी शहर से बाहर ले जाए, श्रमिक कालोनी में सीवेज लाइन बनायी जाये, निर्धन लोगो के लिए सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय बनाये जाये और मनुष्य की लाश तथा मरे हुये पशुओ को गंगा में फेकने पर रोक लगाई जाए, नये कारखानो को लाइसेन्स उस समय तक प्रदान न किये जाये, जब तक वे प्रदूषण रोकने के लिए पर्याप्त संयत्र या उपाय न कर ले। उपरोक्त निर्देश उन सभी नगर पालिकाओ एवं नगर निगमो पर लागू होंगे जहां से होकर गंगा नदी बहती है।

सुभाष ठाकुर बनाम बिहार राज्य(५) के मामले में यह निर्धारित किया गया कि प्रदूषण रहित जल और वायु के उपभोग को जो अनुच्छेद २१ के अन्तर्गत एक मूल अधिकार है सुरक्षित रखने के लिए लोकहित वाद दायर किया जा सकता है। इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों या सामाजिक कार्यकर्ताओ का पक्षकारो को जल और वायु को प्रदूषण से बचाने के लिए अनुच्छेद ३२ के अधीन वाद लाने का अधिकार है।

एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ(६) के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल द्वारा चालित वाहनो के कारण फैलने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए समुचित उपाय करने के लिए लोकहित वाद लाया जा सकता है। न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन को केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, १९८९ को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने इस लोकहित वाद में केन्द्र और राज्य सरकारो को यह निर्देश दिया कि वे सभी सिनेमा घरो, भ्रमणकारी सिनेमा घरो में प्रत्येक शो के पूर्व प्रदूषण सम्बन्धी कम से कम दो स्लाइड अवश्य दिखाये।

यह उन्हे लाइसेन्स की एक शर्त होनी चाहिए। फरवरी १९९२ से प्रत्येक दिन सिनेमा घरो में थोड़ी अवधि की प्रदूषण सम्बन्धी फिल्मे दिखायी जानी चाहिए। रेडियो और दूरदर्शन से प्रत्येक दिन ५ से ७ मिनट का प्रोग्राम प्रसारित किया जाना चाहिए तथा सप्ताह में एक बार इस पर एक लम्बा प्रोग्राम दिखाया जाना चाहिए। सभी स्कूलो, महाविद्यालयो और विश्वविद्यालयो में प्रदूषण एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि छात्रो को इसकी जानकारी हो सके, और वे उसे अपना ले।

इन्डियन काउन्सिल फार इनवायरनमेन्टल लीगल एक्सन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया(७) के मामले में एक पर्यावरणवादी संस्था ने अनुच्छेद ३२ के अधीन एक लोकहित वाद दायर करके देश के रासायनिक कारखानो के आस-पास रहने वाले लोगो को दयनीय स्थिति की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया और यह निवेदन किया कि न्यायालय सरकार को यह आदेश दे कि वह इससे सम्बन्धित विधियों के अधीन अपने कर्तव्य का पालन करे और ऐसे उधोगो से निकलने वाली खतरनाक गैसो से होने वाले दुष्परिणामों से नागरिको की सुरक्षा करे। इस मामले में तथ्य यह था कि राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के बिचारी गांव के आस-पास एक औद्योगिक क्षेत्र बन गया था और वहां प्रत्यार्थियों ने अपने कई रासायनिक कारखानो की स्थापना की थी।

इन कारखानो से निकलने वाली खतरनाक गैसो से पूरे क्षेत्र में भूमि, जल एवं वातावरण दूषित हो गया था। इन कारखानो से निकलने वाला विशैले पानी और रासायन युक्त कचरा चारो ओर भूमि में बहता रहता था, जिसके कारण आस पास के कुंओ और पानी के स्त्रोत, मनुष्य के उपयोग एवं प्रयोग के लायक नही रह गया था। इससे आस-पास के गॉवो में अनेक बीमारियां फैल गई थी। गांव के लोगो ने आन्दोलन करके इन कारखानो को बन्द करवा दिया। किन्तु इसके पश्चात् भी इन कारखानो से निकलने वाला मलवा आस-पास में पड़े रहने से प्रदूषण संकट अभी भी बना हुआ था। ऐसी स्थिति में उक्त पर्यावरणवादी संस्था ने लोकहित वाद दायर किया और इससे प्रभावित होने वाले नागरिको को समुचित अनुतोष दिलाने के लिए न्यायालय से आदेश देने के लिए अनुरोध किया।

उच्चतम न्यायालय ने नेशनल पर्यावरण शोध संस्थान को इसकी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उक्त संस्था की रिपोर्ट से यह पता चला कि २४२४ टन कटरे से लगभग ७२० टन कचरा प्रत्यार्थियो द्वारा बनाए गए गड्ढ़ो में अभी भी एकत्रित था और शेष विषाक्त कचरा कारखाने के परिसर में और बाहर पड़ था। जॉच समिति की दृष्टि से बचने के लिए उसे चारो ओर फैला दिया था और उस पर मिट्टी डलवा दी थी। बन्द होने के बावजूद कारखाने चल रहे थे और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे थे।

उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे कारखाने जो सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना स्थापित किए जाते है और कानून का उल्लंघन करके आस-पास रहने वाले नागरिको के जीवन और व्यक्तिगत स्वाधीनता को क्षति पहुंचाते है तो न्यायालय को उनके खिलाफ समुचित कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, राजस्थान पर्यावरण

नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्टो को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रत्यर्थीगण, बिचारी गावं की भूमि, भूमिगत जल तथा सम्पूर्ण गांव को सामान्य रूप से हानि के लिए उत्तरदायी थे।

यह प्रश्न कि उक्त हानि के निवारण के लिए अपनाए गए उपायो के लिए कितनी रकम प्रतिकर के रूप में प्रत्यार्थीयो को देना होगा, इसका निर्धारण करना केन्द्रीय सरकार का कार्य है प्रतिकर देने के लिए ''दूषित करने वाला भुगतान करता है (Polluter Pays) के सिद्धान्त को लागू किया जायेगा। इसके साथ-साथ न्यायालय ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए और उससे सम्बन्धित अधिनियमों को और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित सरकारो को कई निर्देश भी दिया।

पुनः एम.सी.मेहता बनाम भारत संघ(८) के मामले में न्यायालय ने दिल्ली में स्थिति १६८ खतरनाक कारखानो को जो परिस्थितिकी एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे थे, उन्हे शहर से हटाकर दिल्ली मास्टर प्लान में स्थानो को आवंटित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने ऐसे कारखानो को ३०-११-९६ से बंद करने का आदेश दिया। न्यायालय ने उक्त कारखानो में कार्यरत कर्मकारो के अधिकारो और लाभो के संरक्षण के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। इसी प्रकार एक अन्य वाद काउन्सिल फार एनविरो लीगल एक्सन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया(९) में उच्चतम न्यायालय ने भारत के समुद्री तट क्षेत्रो में स्थित कारखानो द्वारा परिस्थिति की और पर्यावरण को होने वाली क्षति से संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया जिससे सम्बन्धित अधिनियमों के उपबन्धो को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके, प्रस्तुत वाद में एक स्वेच्छिक संख्या ने एक लोकहित वाद दायर करके देश के विशाल समुद्री तट क्षेत्रो को खतरनाक किस्म के कारखानो से होने वाली क्षति की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया।

इसमें यह उल्लेखित किया गया है कि सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया था कि इन क्षेत्रो में कोई खतरनाक किस्म के कारखानो की स्थापना की गई थी। इस मामले में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने न्यायालय का निर्णय सुनाते हुऐ कहा कि ऐसे मामलो के विषय में सम्बन्धित उच्च न्यायालयो को अधिक उचित जानकारी है अतः उन्हे वहां उठाया जाना चाहिए जो उसको रोकने के लिए समुचित निर्देश देंगे। न्यायमूर्ति ने सम्बन्धित उच्च न्यायालयो में हरी पीठ की स्थापना का सुझाव दिया जो इस प्रकार के मामलो की सुनवाई करे और निपटारा करे।

वेल्लोर सिटिजन्स बेलफेयर फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया(१०) के वाद में याचिककर्ता 'वेल्लोर नागरिक कल्याण फोरम ने अनुच्छेद ३२ के अधीन एक लोकहित वाद दायर करके तमिलनाडू में चमड़ा तथा अन्य व्यवसाय करने से निकलने वाले अशुद्व मलवे से पर्यावरण को होने वाली भयंकर हानि की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और अनुरोध किया कि न्यायालय तत्काल ऐसे कारखानो को रोकने का आदेश पारित करे और उससे हुई हानि के लिए प्रतिकर दिलाए।

याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि उपरोक्त कारखानो से निकलकर विषाक्त मलवा खेती, सड़को के किनारे, नदियों तथा खुली भूमि में प्रवाहित हो रहा है और पलार नदी में जा रहा है जो वहां के निवासियों के जल आपूर्ति का एक मात्र स्त्रोत है। फलतः नदी का पानी पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गया है। आसपास की भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो गई है। लगभग १३ गॉवो के ३५० कुओ का पानी प्रदूषित हो गया है। गॉव की औरतो और बच्चो को पानी कई मील दूर से लाना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि चमड़ा व्यवसाय देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है तथा हजारो व्यक्तियों को रोजगार का अवसर मिलता है, किन्तु इसको पर्यावरण को नष्ट करने तथा स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न करने का हक नही है।

ऐसे कारखानो के मामले में 'सामंजस्य की धारण' अर्थात् यदि हानि अधिक है और लाभ कम है तो उन्हे बन्द कर देना चाहिए और ''दूषित करने वाला भुगतान करता है।'' के सिद्धान्त को लागू किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने प्रत्येक चमड़ा कारखाने पर १०,०००/- रूपये प्रदूषण का दण्ड लगाया। यह रकम ''प्रदूषण संरक्षण फण्ड'' में जमा की जायेगी, जिसका प्रयोग प्रभावित व्यक्तियो की क्षतिपूर्ति दिलाने में किया जायेगा। ''प्रदूषण दण्ड'' राजस्व के रूप में वसूला जायेगा। न्यायालय ने अपने निर्देशो के पालन के लिए तमिलनाडू उच्च न्यायालय में ''ग्रीन पीठ'' के नाम से एक विशेष पीठ बनाने का निर्देश दिया जो इस मामले को निपटायेगी।

इनरी ध्वनि प्रदूषण(११) के ऐतिहासिक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद २१ के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन व्यतीत करने का अधिकार है इस प्रकरण में श्री अनिल कुमार मित्तल ने लोकहित वाद दायर करके न्यायालय से इस बात का अनुरोध किया कि वह सरकार को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए बनाई गई विधियों को कठोरता से क्रियन्वयन करने का निर्देश दे। वाद दायर करने का प्रमुख कारण यह था कि एक १३ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार हुआ जो समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, किन्तु पड़ोस में धार्मिक समारोह में लाउडस्पीकर की जोर की ध्वनि से उस बालिका के चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नही पड़ी, इसके पश्चात वह आग लगाकर जलकर मर गई। याचिकाकर्ता ने इस प्रकरण में अनेक घटनाओ का जिक्र किया, जिससे धार्मिक समारोह, राजनीतिक दलो द्वारा बजाए गए लाउडस्पीकर तथा विवाह के अवसरो पर आधुनिक बाद्य यंत्रो (डी.जे.) के बजने के कारण उत्पन्न ध्वनि के बजह से समाज के सभी वर्गो, छात्रो, नवजात शिशुओ, मरीजो को कष्ट पहुंचता है और उनका जीवन कष्टमय हो जाता है।

सरकार ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम बनाया है, जिन्हे माह में १५ दिन रात्रि १० से १२ बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति लेने का प्रावधान है किन्तु उसमे कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित नही है अतः उसका दुरूपयोग किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर बाद को ''Inre noise Implemention of laws for restricting voice of loudspeakers and High Volume System'' नाम दिया और न्यायालय की सहायता के लिए दो अधिवक्ताओं को न्यायमित्र नियुक्त किया।

उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशो न्यायमूर्ति की आर.सी.लाहोटी और न्यायमूर्ति अशोक मान की पीठ ने यह निर्धारित

किया कि अनुच्छेद २१ में मानव गरिमा के साथ जीवित रहने का मूल अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो अपने घर में शान्तिपूर्वक, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसे ध्वनि रहित वातावरण जीने का अधिकार है। न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियों का विस्तार से विवेचन किया। न्यायालय ने कहा कि आधुनिक समय में ध्वनि प्रदूषण एक प्रमुख प्रदुषण का स्त्रोत है और मानव के स्वास्थ्य पर इसका गम्भीर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण मनुष्य का सोना, सुनना वार्तालाप करना ओर शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यहां तक कि इससे मनुष्य पागल हो सकता है।

न्यायालय ने अन्त मे प्रदूषण रोकने के सम्बन्ध में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियो को निम्नलिखित निर्देश दिये है –

(१) पटाखो की ध्वनिस्तर वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार किया जाना चाहिए जब तक कि इससे अच्छी प्रणाली न खोज ली जाए।
(२) ध्वनि करने वाले पटाखो पर १० बजे रात्रि से ६ बजे सुबह तक पूर्ण रोका होगी।
(३) पटाखो की दो श्रेणीयों होगी एक निर्यात करने वाली और दूसरी देश में विक्रय की जाने वाली। दोनो के रंग अलग–अलग होंगे। देश में विक्रय के लिए पटाखो पर रासायनिक तत्वो की पूर्ण जानकारी का प्रकाशन होगा।
(४) लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि करने वाले यंत्रो का ध्वनि स्तर (१०क्ट) दस डिसबल से अधिक नही होना चाहिए।
(५) लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक का प्रयोग १० बजे से ६ बजे रात्रि में, आकस्मिक स्थिति के अतिरिक्त नही किया जायेगा।
(६) आवासीय क्षेत्र में कारो के हार्न का प्रयोग नही किया जायेगा, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर।
(७) ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियों के विषय में जन साधारण को जागरूक बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। स्कूलो और बच्चो के पाठ्यक्रमो में आवश्यक पाठ शामिल करके उन्हे इसके विषय में जागरूक बनाया जाना चाहिए।

न्यायालय द्वारा उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त न्यायालय की अनुच्छेद १४१ और १४२ के अधीन न्यायिक शाक्तियो का प्रयोग करते हुए जारी किये गये और वे तब तक प्रभावशील बने रहेंगे जब तक कि न्यायालय द्वारा या समुचित विधायन द्वारा परिवर्तित नही कर दिये जाते है।

उपसंहार

प्राकृतिक पर्यावरण को वर्तमान समय में जिनसे विशेष खतरा है, उन कारणो का समाधान सरकारी संस्थाओ के बजाए गैर सरकारी संगठनो के पास अधिक है क्योंकि जनता को अपने कर्तव्यो का बोध स्वयं जनता द्वारा गठित स्वयं सेवी गैर सरकारी संगठन प्रभावी तरह से कर सकते है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयो को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति विधायिका व कार्यपालिका के कार्यो की संवैधानिकता को जांचने के लिए प्रदत्त की है। पर्यावरण प्रदूषण निवारण हेतु अनुच्छेद ३२ के अधीन लोकहित वादो से सम्बन्धित याचिकाओ को स्वीकार करते हुऐ उच्चतम न्यायालय ने विवश होकर विधि विवेचना के साथ–साथ न्यायिक निर्णयो के माध्यम से विधि निर्माण करना पडा। उपरोक्त वादो के अवलोकन से यह पता चलता है कि पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के निवारण की दिशा लोकहित वाद के माध्यम से न्यायालय ने केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु समय–समय पर निर्देशित कर रहा है।

संदर्भ सूची :–

(१) (१९८५) २ एस.सी.सी. ४३१
(२) (१९८६) २ एस.सी.सी. १७६
(३) (१९८८) २ उम नि. २२६
(४) (१९८८) एस.सी.सी. ४७१
(५) ए.आई.आर. १९९१ एस.सी.४२०
(६) (१९९६) ४ एस.सी. ७५०
(७) (१९९६) ५ एस.सी.सी. २८१
(८) (१९९६) ४ एस.सी.सी. ७५०
(९) (१९९६) ५ एस.सी.सी. २८१
(१०) (१९९६) ५ एस.सी.सी. ६४७
(११) ए.आई.आर.२००५ एस.सी.३०३६

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org